भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-775
दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का आवंटन

775. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आवश्यकतानुसार केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत आवंटन सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति बहुल शाहजहांपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने दिनांक 30.06.2025 तक केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन केंद्र से उत्तर प्रदेश को 9725.7 मेगावाट विद्युत आवंटित की है, जिसमें 9475.1 मेगावाट विद्युत आबंटित कोटे से और 250.6 मेगावाट विद्युत अनाबंटित कोटे से शामिल है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) में उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर लगभग शून्य हो गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य की विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों को विद्युत आपूर्ति और वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए राज्यों/वितरण यूटिलिटी को सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारत सरकार ने दिनांक 20 जुलाई, 2021 को "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) - एक सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध स्कीम" की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाना है। इस स्कीम की अंतिम तिथि 31.03.2028 है।

(ii) उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करके उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) लागू की गई हैं।

(iii) भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य को क्रियान्वित किया है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है।

(iv) इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्र स्थापित करके और उनसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित करती है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 775

अनुबंध

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य की विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
2022-23	144251	143050	1201	0.8
2023-24	148791	148287	504	0.3
2024-25	165090	164786	304	0.2
2025-26* (जून, 2025 तक)	46099	46094	6	0.0

*जून, 2025 माह के आंकड़े अनंतिम हैं।

****